उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड

पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग), मोथरोवाला रोड,
पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115
फोन नं0 0135–2532926 फैक्स नं0 0135–2532816
ई0मेल0– ceo.uswdb.uk@gov.in, ceo.uswdb@yahoo.com

पत्रांक 415 /नियोजन/ऊन दर निर्धारण/2016–17 दिनांकः 19 जुलाई, 2016

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– वर्ष 2016–17 में राज्य में उत्पादित होने वाली ऊन की न्यूनतम दरें।

महोदय,

शासनादेश सं0 316/प0म0दु0/पशुपालन/1050/2004 दिनांक 11 मई, 2004 के द्वारा गठित समिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, निदेशक, उद्योग विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित होने वाली ऊन की दर निर्धारण हेतु आयोजित बैठक के जारी कार्यवृत्त पत्रांक 407 दिनांक 18 जुलाई, 2016 के अनुसार ऊन की न्यूनतम दरों का निर्धारण निम्नवत किया जाता है:–

क0 सं0	ऊन की किस्म		वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित न्यूनतम दरें (रू0 प्रति कि0ग्रा0)
1.	रशियन मैरिनों/रैम्बुलेट (बाडी ऊन) Dia. Below 24 micron Length 68-70 mm		110.00
2.	रशियन मैरिनों/रैम्बुलेट (स्कर्ट ऊन)		50.00
3.	क्रास ब्रेड (बॉडी ऊन) Length 66-68 mm		106.00
4.	क्रास ब्रेड (स्कर्ट ऊन)		39.00
5.	स्थानीय देशी भेड़ (बॉडी ऊन) Length 66-68 mm	सफेद	95.00
		काली	77.00
6.	स्थानीय देशी भेड़ (बॉडी ऊन) Below 66 mm Length	सफेद	46.00
		काली	44.00
7.	स्थानीय देशी भेड (स्कर्ट ऊन)	सफेद	28.00
		काली	28.00
8.	अंगोरा शशक ऊन "A" grade		1500.00
9.	क्रास मोहयर		61.00

1. यह न्यूनतम दरें उत्तराखण्ड राज्य के समस्त ऊन उत्पादित क्षेत्र, स्थान तथा राजकीय एवं गैर राजकीय संस्था आदि पर लागू होगी।
2. उपरोक्त न्यूनतम दरों के अतिरिक्त क्रेता को नियमानुसार व्यापार कर, अन्य देयकर एवं ऊन भण्डारण के लिये पैंकिग चार्ज आदि पृथक से देना होगा।

3 क्षेत्र, स्थान तथा संस्था आदि से ऊन का ढुलान सम्बन्धित क्रेता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।
4. उत्तराखण्ड राज्य की राजकीय संस्थाओं की उत्पादित ऊन को बॉडी एवं स्कर्ट ऊन के रूप में भली प्रकार पृथक–पृथक भण्डारित करना होगा।
5. राजकीय संस्थाओं से भविष्य में उत्पादित होने वाली ऊन से सम्बन्धित ऊन कतरन कार्यक्रम को कतरन से एक माह पूर्व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को अवगत कराना होगा, ताकि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधि सम्मुख ऊन कतरन कार्य सम्पादित कराते हुये क्रय की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
6. उपरोक्त निर्धारित दरें पूर्णतया न्यूनतम हैं। किसी भी दशा में इससे कम मूल्य पर ऊन का विक्रय न किया जाय। न्यूनतम दरों से अधिक मूल्य पर ऊन विक्रय करने से ऊन दर निर्धारण समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी।
7. वर्ष में विक्रय हेतु उपलब्ध ऊन का निस्तारण प्रत्येक दशा में उसी वर्ष में अवश्य कर दिया जाय, जिससे कोई भी ऊन निस्तारण हेतु अवशेष न रह जाय।
8. यह आदेश आगामी वित्तीय वर्ष में नये आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।

भवदीय,

18/07/16

(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

पत्रांक 415 /नियोजन/ऊन दर निर्धारण/2016–17 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के समस्त सम्मानित भेड़पालक सदस्य जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा।
2. डा0 यू0 के0 अथैया, विषय विशेषज्ञ सदस्य, 13 इन्द्रपुर, पो0ओ0 बद्रीपुर, देहरादून।
3. परियोजना निदेशक,लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं फॉमर्स ओरिएन्टेशन, मक्कू, रूद्रप्रयाग।
5. परियोजना निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक, ऋषिकेश।
6. अधिशासी निदेशक, हाईफीड, रानीचौरी, टिहरी–गढ़वाल।
7. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/गोपेश्वर–चमोली।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उद्योग विभाग उत्तराखण्ड, पटेल नगर, देहरादून।
10. निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
12. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान।
13. अपर सचिव, पशुपालन, भेड़–बकरी पालन, उत्तराखण्ड शासन।
14. प्रभारी सचिव, पशुपालन, भेड़–बकरी पालन, उत्तराखण्ड शासन।
15. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, भेड़–बकरी पालन, उत्तराखण्ड शासन।
16. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
17. संयुक्त सचिव (ऊन), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
18. प्रमुख निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।

18/07/16

(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी